GRAMMAR
CORRESPONDENCE AND TRANSLATION

STUDY MATERIAL

SECOND SEMESTER

COMMON COURSE IN HINDI : HIN2A08

For

BA/BSc PROGRAMME

(2016 ADMISSION ONWARDS)

UNIVERSITY OF CALICUT

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

Calicut University P.O, Malappuram, Kerala, India 673635

515A

UNIVERSITY OF CALICUT

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

STUDY MATERIAL
SECOND SEMESTER

BA/BSc PROGRAMME

(2016 ADMISSION ONWARDS)

COMMON COURSE IN HINDI

HIN2A08 : GRAMMAR CORRESPONDENCE AND TRANSLATION

Prepared by:

Dr. Sreekala.T.K,
Assistant Professor on contract,
School of Distance Education, University of Calicut.

Layout: 'H' Section, SDE
©
Reserved

विषय सूची

	CONTENT	PAGE NO.
Module -1	शब्द विचार -Shabad Vichar (Etymology)	**05 – 29**
Module - 2	सर्वनाम - Sarvanam (Pronoun) विशेषण (Adjective) Kal (Tense) वाच्य Voice	**30 – 43**
Module-3	पत्र-लेखन	**44 – 52**
Module -4	अनुवाद	**53 – 57**

MODULE I

शब्द विचार -Shabad Vichar (Etymology)

शब्द विचार की परिभाषा

दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को 'शब्द' कहते हैं, जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। दूसरे शब्दों में- ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णसमुदाय को 'शब्द' कहते हैं।

इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं- वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को 'शब्द' कहते हैं।

जैसे- सन्तरा, कबूतर, टेलीफोन, आ, गाय घर, हिमालय, कमल, रोटी, आदि।

इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों क ये मेल सार्थक है, जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। 'घर' में दो वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ है मकान, जिसमे लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है।

शब्द अकेले औरर कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं- एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं और दूसरा वह, जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बतानेवाले अंश को आगे-पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट संवार लेता है।

शब्दों की रचना (i) ध्वनि और (ii) अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णो से बनी स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं; जैसे- मैं, धीरे, परन्तु, लड़की इत्यादि। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक। किन्तु, व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्त्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्त्व है, जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता।

शब्द और पद- यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे-प + आ + न = पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आये, तो वह पद कहलाता है। जैसे- पुस्तक लाओ। इस वाक्य में दो पद है- एक नामपद 'पुस्तक' है और दूसरा क्रियापद 'लाओ' है।

शब्द के भेद

अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद है। इनका वर्णन निम्न प्रकार है-

1 अर्थ की दृष्टि से शब्द- भेद

(i) सार्थक शब्द (ii) निरर्थक शब्द

(i) सार्थक शब्द

जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, उसे 'सार्थक शब्द' कहते हैं। जैसे- कमल, खटमल, रोटी, सेव आदि।

(ii) निरर्थक

जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते है।

जैसे- राटी, विठा, चीं, वाना, वोती आदि।

सार्थक शब्दों के अर्थ होते है और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे- 'पानी' सार्थ शब्द है और 'नीपा' निरर्थक शब्द, क्योकि इसका कोई अर्थ नहीं।

(2) प्रयोग की दृष्टि से शब्द-भेद

शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बाँटते हैं:

(i) विकारी शब्द (ii)अविकारी शब्द

(i) विकारी शब्द- जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते है।

इसे हम ऐसे भी कह सकते है- विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार (परिवर्तन) आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।

जैसे- लिंग-लडका पढता है।............ लडकी पढती है।

वचन- लडका पढता है। .... लडके पढते है।

कारक- लडका पढता है। ....लडके को पढने दो।

विकारी शब्द चार प्रकार के होते है-

(i) संज्ञा (noun) (ii) सर्वनाम (pronoun) (iii) विशेषण (adjective) (iv) क्रिया (verb)

(ii) अधिकारी शब्द: जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकार शब्द कहते हैं।

दूसरे शब्दों में- अ+विकारी यानी जिनमें परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं।

जैसे- परन्तु, तथा, यदि, धीरे-धीरे, अधिक आदि।

अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते है-

(i) क्रिया- विशेषण

(ii) सम्बन्ध बोधक

(iii) समुच्चय बोधक

(iv) विस्मयादि बोधक

3. उत्तपत्ति की दृष्टि से शब्द-भेद

(i) तत्सम शब्द (ii) तद्भव शब्द (iii) देशज शब्द एवं (iv) विदेशी शब्द।

(i) तत्सम शब्द :-संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिन्दी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।

दूसरे शब्दों में :- तत् (उसके) + सम (समान) यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव (मूलरूप में) के लिए गए है, तत्सम शब्द कहलाते हैं।

सरल शब्दों में- हिंदी में संस्कृत के मू शब्दों को 'तत्सम' कहते हैं।

जैसे- कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि।

यहाँ संस्कृत के उन तत्समो की सूची है, जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आये है-

तत्सम	**हिंदी**	**तत्सम**	**हिंदी**
आम्र	आम	गेमल, गेमय	गोबर
उष्ट्र	ऊँट	घोडक	घोड़ा
चंचु	चोंच	पर्यक	पलंग
त्वरित	तुरंत	भक्त्त	भात
शलाका	सलाई	हरिद्रा	हल्दी, हरदी
चतुष्पदिका	चौकी	सपत्री	सौत
उद्वर्तन	उबटन	सूचि	सुई
खर्पर	खपरा, खप्पर	सक्तु	सत्तू
तिक्त	तीता	क्षीर	खीर

(ii) तद्धव शब्द:- ऐसे शब्द, जो संस्कृत और प्राकृत होकर हिंदी में आये है, 'तदभव' कहलाते है।

दूसरे शब्दों में- सस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिन्दी में मिल गये है, 'तद्धव' शब्द कहलाते है।

तद् (उससे) + भव (होना) यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोडे बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्धव शब्द कहलाते हैं।

जैसे-

संस्कृत	तद्भव
दुग्ध	दूध
हस्त	हाथ
कुब्ज	कुबड़ा
कर्पूर	कपूर
अंधकार	अँधेरा
अक्षि	आँख
अग्नि	आग
मयूर	मोर
आश्चर्य	अचरज
उच्च	ऊँचा
ज्येष्ठ	जेठ
कार्य	काम
क्षेत्र	खेत
जिहवा	जीभ
कर्ण	कण
तृण	तिनका
दंत	दाँत
उच्च	ऊँचा

संस्कत	तद्भव
दिवस	दिन
धैर्य	धीरज
पंच	पाँच
पक्षी	पंछी
पत्र	पत्ता
पुत्र	बेटा
शत	सौ

अश्रु	आँसु
मिथ्या	झूठ
मूढ़	मूर्ख
मृत्यु	मौत
रात्रि	रात
प्रस्तर	पत्थर
शून्य	सूना
श्रावण	सावन
सत्य	सच
स्वप्न	सपना
स्वर्ण	सोना

ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पालि, प्राकृत और अप्रभ्रंश से होते हुए हिंदी में आये है। इसके लिए इन्हें एक लम्बी यात्रा तय करनी पडी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आये है, परन्तु कुछ शब्द देश-काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गये हैं कि उनके मुलरूप का पता नहीं चलता।

तद्भव के प्रकार-

तद्भव शब्द दो प्रकार के है- **(i) संस्कृत से आनेवाले** और **(2) सीधे प्राकृत से आनेवाले।**

हिंदी भाषा में प्रयुक्त होनेवाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव है, जो संस्कृत-प्राकृत से होते हुए हिंदी में आये है। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जायेंगे-

संस्कृत	**प्राकृत**	**तद्भव हिंदी**
अग्नि	अग्गि	आग
मया	मई	मैं
वत्स	वच्छ	बच्चा, बाछा
चत्वारि	चतारी	चार
पुष्प	पुप्फ	फूल
मयूर	मऊर	मोर
चतुर्थ	चडत्थ	चौथा
प्रिय	प्रिय	पिय, पिया
वचन	वअण	बैन
कृतः	कओ	किया

मध्य	मज्झ	में
नव	नअ	नया
चत्वारि	चत्तारि	चार

<u>संज्ञा (Noun)</u>

संज्ञा की परिभाषा

संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते है, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते है।

दूसरे शब्दों में- किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुग या भाव के नाम को संज्ञा कहते है।

जैसे- **प्राणियों के नाम**- मोर, घोडा, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि।

वस्तुओ के नाम- अनार, रेडियो, किताब, सन्दूक, आदि।

स्थानों के नाम- कुतुबमीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि

भावों के नाम- वीरता, बढ़ापा, मिठास आदि

यहाँ 'वस्तु' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मो का भी सूचक है।

साधारण अर्थ में 'वस्तु' का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अतः वस्तु के अन्तर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किये गये हैं।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के पाँच भेद होते है-

(1) **व्यक्तिवाचक** (proper noun)

(2) **जातिवाचक** (common noun)

(3) **भाववाचक** (abstract noun)

(4) **समूहवाचक** (collective noun)

(5) **द्रव्यवाचक** (material noun)

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तितवाचक संज्ञा कहते हैं।

जैसे-

व्यक्ति का नाम- रवीना, सोनिया गाँधी, श्याम, हरि, सरेश, सचिन आदि।

वस्तु का नाम- कार, टाटा चाय, कुरान, गीता रामायण आदि।

स्थान का नाम- ताजमहल, कुतुबमीनार, जयपुर आदि।

दिशाओं के नाम- उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व।

देशों के नाम- भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा ।

राष्ट्रीय जातियों के नाम- भारतीय, रूसी, अमेरिकी।

समुद्रों नाम- काला सागार, भुमध्य सागर, महासागर, प्रहासागार।

नदियों के नाम- गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोल्ग, कृष्ण, कावेरी, सिन्धु।

पर्वतों के नाम- हिमालय, विन्ध्याचल, अलकनन्दा, कराकोरम।

नगरों, चौकों और सड़कों के नाम- वाराणसी, गया, चाँदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग।

पुस्तकों तथा समाचारपत्रों के नाम- रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इण्डियन नेशन, आर्यावर्त।

ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम- पानीपत की पहली लडाई, सिपाही-विद्रोह, अक्तूबर-क्रान्ति।

दिनों, महीनों के नाम- मई, अक्तूबर, जलाई, सोमवार, मंगलवार।

त्योहारों, उत्सवों के नाम- होली, दीवाली, रक्षाबन्धन, वियादशमी।

2. **जातिवाचक संज्ञा**ः- बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड, खिड़की, स्कूटर आदि शाब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये 'जातिवाचक संज्ञा' हैं।

इस प्रकार-

जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या प्रदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते है।

जैसे- लडका, पशु-पक्षयों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड आदि।

'लड़का' से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लडकों का बोध होता है।

'पशु-पक्षयों' से गय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बाध होता है।

'वस्तु' से मकान कुर्सी, पस्तक, कलम आदि का बोध होता है।

'नदी' से गंगा यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है।

'मनुष्य' कहने से संसार की मनुष्य-जाति का बोध होता है।

'पहाड़' कहने से संसार के सभी पहाडों का बोध होता हैं।

3. **भाववाचक संज्ञा**ः- थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हँसी, चढ़ाई, सागस, वीरता आदि शब्द-भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये 'भाववाचक संज्ञाएँ' हैं।

इस प्रकार-

जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

जैसे- उत्साह, ईमानदारी, वचपन, आदि। इन उदाहरणों में **'उत्साह'** से मन का भाव **'ईमानदारी'** से गुण का बोध होता है। **'बचपन'** जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्याह, ईमानदारी, बचपन, आदि शब्द भाववाचक संज्ञाए हैं।

हर पदार्थ का धर्म होता है। पानीं में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोडा है, तो उसमे बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। 'धर्म, गुण, अर्थ' और 'भाव' प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इन्द्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता।

भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण

भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञ बनाना

जातिवाचक संज्ञा	**भाववाचक संज्ञा**	**जातिवाचक संज्ञा**	**भाववाचक संज्ञा**
स्त्री-	स्त्रीत्व	भाई-	भाईचारा
मनुष्य-	मनुष्यता	पुरुष-	पुरुषत्व, पौरुष
शास्त्र-	शास्त्रीयता	जाति-	जातीयता
पशु-	पशुता	बच्चा-	बचपन
दनुज-	दनुजता	नारी-	नारीत्व
पात्र-	पात्रता	बूढा-	बुढ़ापा
लड़का-	लड़कपन	मित्र-	मित्रता
दास-	दासत्व	पण्डित	पण्डिताई
अध्यापक-	अध्यापन	सेवक-	सेवा

2. विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना

विशेषण	**भाववाचक संज्ञा**	**विशेषण**	**भाववाचक संज्ञा**
लघु-	लघुता, लघुत्व, लाघव	वीर-	वीरता, वीरत्व

विशेषण	भाववाचक संज्ञा	विशेषण	भाववाचक संज्ञा
एक-	एकता, एकत्व	चालाक-	चालाकी
खट्टा-	खटाई	गरीब-	गरीबी
गँवार-	गँवारपन	पागल-	पागलपन
बूढा-	बुढ़ापा	मोटा-	मोटापा
नवाब-	नवाबी	दीन-	दीनता, दैन्य
बड़ा-	बड़ाई	सुंदर-	सौदर्य, सुंदरता
भला-	भलाई	बुरा-	बुराई
ढीठ-	ढिठाई	चौड़ा-	चौड़ाई
लाल-	लाली, लालिमा	बेईमान-	बेईमानी
सरल-	सरलता, सारल्य	आवश्यकता-	आवश्यकता
परिश्रमी-	परिश्रम	अच्छा-	अच्छाई
गंभीर-	गंभीरता, गांभीर्य	सभ्य-	सभ्यता
स्पष्ट-	स्पष्टता	भावुक-	भावुकता
अधिक-	अधिकता, आधिक्य	गर्म-	गर्मी
सर्द-	सर्दी	कठोर-	कठोरता
मीठा-	मिठास	चतुर-	चतुराई
सफेद-	सफेदी	श्रेष्ठ-	श्रेष्ठता
मुर्ख-	मूर्खता	राष्ट्रीय	राष्ट्रीयता

(1) क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना

क्रिया	भाववाचक संज्ञा	क्रिया	भाववाचक संज्ञा
खोजना-	खोज	सीना-	सिलाई
जीतना-	जीत	रोना-	रुलाई
लड़ना-	लड़ाई	पढ़ना-	पढ़ाई
चलना-	चाल, चलन	पीटना-	पिटाई
क्रिया	**भाववाचक संज्ञा**	**क्रिया**	**भाववाचक संज्ञा**
दैखना-	दिखावा, दिखावट	समझना-	समझ
सीचना-	सिंचाई	पड़ना-	पड़ाव

पहनना-	पहनावा	चमकना-	चमक
लूटना-	लूट	जोड़ना-	जोड़
घटना-	घटाव	नाचना-	नाच
बोलना-	बोल	पूजना-	पूजन
झूलना-	झूला	जोतना-	जुताई
कमाना-	कमाई	बचना-	बचाव
रुकना-	रुकावट	बनना-	बनावट
मिलना-	मिलावट	बुलाना-	बुलावा
भूलना-	भूल	छापना-	छापना,छपाई
बैठना-	बैठक, बैठकी	बढ़ना-	बाढ़

क्रिया	**भाववाचक संज्ञा**	**क्रिया**	**भाववाचक संज्ञा**
घेरना-	घेरा	छींकना-	छींक
फिसलना-	फिसलन	खपना-	खपत
रँगना-	रँगाई, रंगत	मुसकाना-	मुसकान
उड़ना-	उड़ान	घबराना-	घबराहट
मुड़ना-	मोड़	सजाना-	सजावट
चढ़ना-	चढाई	बहना-	बहाव
मारना-	मार	दौड़ना-	दौड़
गिरना-	गिरावट	कूदना-	कूद

लिंग (GENDER)

संज्ञा के जिस रुप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता हैं उसे लिंग कहते हैं।

उदाहरण : माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी।

लिंग के भेद

लिंग के मुख्य रूप से २ भेद होते हैं :

(1) पुल्लिंग

(2) स्त्रीलिंग

पुल्लिंग

जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं।

जैसे : पिता, भाई, शिव, हनुमान, लडका, बैल।

स्त्रीलिंग

जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं।

जैसे : माता, बहन, यमुना, गंगा, बुआ, सडकी, लक्ष्मी, गाय।

स्त्रीलिंग प्रत्यय

पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोडा जाता है जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं।

उदाहरण :

ई **=** बडा- बडी, भला- भली

इनी = योगी- योगिनी, कमल- कमलिनी

इन = धोबी- धोबिन, तेली- तेलिन

नी = मोर- मोरनी, चोर- चोरनी

आनी = जेठ- जेठानी, देवर- देवरानी

आइन = ठाकुर- ठकुराइन, पंडित- पंडिताइन

इया = बेटा-बिटिया, लोटा- लुटिया

कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। उनका उचित प्रयोग करना चाहिए।

उदाहरण :

पुल्लिंग- स्त्रीलिंग

कवि- कवयित्री

विद्वान- विदुषी

<u>वचन -Vachan (Number)</u>

वचन की परिभाषा

शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, उसे हिन्दी व्याकरण में 'वचन' कहते हैं। दूसरे शब्दों में- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे 'वचन' कहते है।

जैसे-

फ्रिज में सब्जियाँ रखी हैं।

तालाब में मछलियाँ तैर रही है।

माली पौधे सींच रहा है।

कछुआ खरगोश के पीछे है।

उपर्युक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियाँ, मछलियाँ, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एकवचन के शब्द हैं तथा सब्जियाँ, मछलियाँ, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द। वचन का शाब्दिक अर्थ है- 'संख्यावचन'। 'संख्यावचन' को ही संक्षेप में 'वचन' कहते है। वचन का अर्थ कहना भी है।

<u>वचन के प्रकार</u>

वचन के दो भेद होते है-

(1) एकवचन

(2) बहुवचन

(1) एकवचनः- संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे एकवचन कहते है। जैसे- स्त्री, घोडा, नदी, रुपया, लडका, गाय, सिपाही, बच्चा, कपडा माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर मोर आदि।

(2) बहुवचनः- शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे बहवचन कहते है। जैसे- स्त्रियां, घोडे, नदियाँ, रुपये, लडके, गाये, कपडे, टोपियाँ, मालाएं, माताएँ, पुस्तकें, वधुएँ, गुरुजन, रोटियाँ, लताएँ, बेटे आदि।

विशेष- (i) आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे- पापाजी कल मुंबई जायेंगे।

(ii) संबद्ध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाये एकवचन और बहुवचन में एक समान रहती है। जैसे-ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि।

(iii) द्रव्यसूचक संज्ञाये एकवचन में प्रयोग होती है। जैसे- पानी, तेल, घी, दूध आदि।

(iv) कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किये जाते है जैसे- दम, दर्शन, प्राण, आँसू आदि।

(v) पुल्लिंग ईकारान्त, उकारान्त और उकारान्त शब्द दोनों वचनों में समान रहते है।

जैसे- एक मुनि- दस मुनि, एक डाकू- दस डाकू, एक आदमी- दस आदमी आदि।

(vi) बडप्पन दिखाने के लिए कभी-कभी वक्ता अपने लिए 'मैं' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग करता है। जैसे- 'हमें' याद नहीं कि हमने कभी 'आपसे' ऐसा कहा हो।

(vii) व्यवहार में 'तुम' के स्थान पर 'आप' का प्रयोग करते हैं। जैसे – 'आप' कल कहाँ गये थे?

(viii) जातिवाचक संज्ञायें दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है।

जैसे- (i) कुत्ता भौंक रहा है। (ii) 'कुत्ते' भौंक रहे है।

परन्तु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञायें एकवचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे- 'सोना' महँगा है, 'चाँदी' सस्ती है।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम-

विभिक्तिरहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम-

(1) आकारान्त पुल्लिंग शब्दों में 'आ' के स्थान पर 'ए' लगाने से-

एकवचन	बहुवचन
जूता	जूते
तारा	तारे
लड़का	लड़के
घोड़ा	घोडे
बेटा	बेटे
मुर्गा	मुर्गे
कपडा	कपडे

(2) अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में 'अ' के स्थान पर 'ऐं' लगाने से-

एकवचन	बहुवचन
कलम	कलमें
बात	बातें
रात	रातें
आँख	आखें
पुस्तक	पुस्तकें

(3) जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्त में 'या' आता है, उनमें 'या' के ऊपर चन्द्रबिन्दु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
बिंदिया	बिंदियाँ
चिडिया	चिडियाँ
डिबिया	डिबियां
गुडिया	गुडियाँ
चुहिया	चुहियाँ

(4) ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के ‘इ’ के स्थान पर ‘इयाँ’ लगाने से-

एकवचन	बहुवचन
तिथि	तिथियाँ
नारी	नारियाँ
गति	गतियाँ
थाली	थालियाँ

(5) आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा-शब्दों के अन्त में ‘एँ’ लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
लता	लताएँ
अध्यापिका	अध्यापिकाएँ
कन्या	कन्याएँ
माता	माताएँ
भुजा	भुजाएँ
पत्रिका	पत्रिकाएँ
शाखा	शाखाएँ
कामना	कामनाए
कथा	कथाएँ

(6) इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ‘याँ’ लगाने से-

एकवचन	बहुवचन
जाति	जातियाँ
रीति	रीतियाँ

नदी	नदियाँ
लड़की	लड़कियाँ

(7) उकारान्त व ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में ‘एँ’ लगाते है। ‘ऊ’ को ‘उ’ में बदल देते है-

एकवचन	बहुवचन
वस्तु	वस्तुएँ
गौ	गौएँ
बहु	बहुएँ
वधघू	वधुएँ
गऊ	गउएँ

(8) संज्ञा के पुंलिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में ‘गण’ ‘वर्ग’ ‘जन’ ‘लोग’ ‘वृन्द’ ‘दल’ आदि शब्द जोडकर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
स्त्री	स्त्रीजन
नारी	नारीवृन्द
अधिकारी	अधिकारीवर्ग
पाठक	पाठकगण
अध्यापक	अध्यापकवृंद
विद्यार्थी	विद्यार्थीगण
आप	आपलोग
श्रोता	श्रोताजन
मित्र	मित्रवर्ग
सेना	सेनादल
गुरु	गुरुजन
गरीब	गरीब लोग

(9) कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन

व्यापारी	व्यापारीगण
मित्र	मित्रवर्ग
सुधी	सुधिजन

नोट- कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे- पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाज़ार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्रयार्थी आदि।

विभक्तिसहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम-

विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने से लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित है-

(1) अकारान्त, आकारान्त (संस्कृत-शब्दों को छोडकर) तथा एकारान्त संज्ञाओं में अन्तिम ‘अ’, ‘आ’ या ‘ए’ के स्थान पर बहुवचन बनाने में ‘ओ’ कर दिया जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
लडका	लडकों
घर	घरों
गधा	गधों
घोडा	घोडों
चोर	चोरों

(2) संस्कृत की आकारान्त तथा संस्कृत-हिन्दी की सभी उकारान्त, ऊकारान्त, अकारान्त, औकारान्त संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अन्त में ‘ओ’ जोडना पडता है। उकारान्त शब्दों में ‘ओ’ जोडने के पूर्व ‘ऊ’ को ‘उ’ कर दिया जाता है।

एकवचन	बहुवचन
लता	लताओं
साधु	साधुओं
वधू	वधुओं
घर	घरों
जौ	जौओं

(3) सभी इकारान्त और ईकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अन्त में ‘यों’ जोड़ा जाता है। ‘इकारान्त’ शब्दों में ‘यो’ जोडने के पहले ‘ई’ कर दिया जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
मुनि	मुनियों
गली	गलियों
नदी	नदियों
साडी	साडियों
श्रीमती	श्रीमतियों

वचन की पहचान

वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है- यह स्पष्ट है।

(1) हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।

जैसे-

गाँधीजी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पिता जी आप कब आए? मेरी माता जी मुंबई गई है।

शिक्षक पढ़ा रहे हैं। डॉ. मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री है।

(2) कुछ शब्द सदैव एकवचन में रहते है।

जैसे-

आकाश में बादल छाए हैं।

निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया।

नल खुला मत छोडो, वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा।

मुझे बहुत क्रोध आ रहा है।

राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए।

गाँधी जी सत्य के पुजारी थे।

(3) द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है।

जैसे-

चीनी बहुत महँगी हो गई है।

पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।

बुराई की सदैव पराजय होती है।

प्रेम ही पूजा है।

किशन बुद्धिमान है।

(4) कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते है।

जैसे-

दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए।

आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं।

रवि जब से अफसर बना है, तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं।

आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं।

वचन सम्बन्धी विशेष निर्देश

(1) 'प्रत्येक' तथा 'हरएक' का प्रयोग सदा एकवचन में होता है। जैसे-

प्रत्येक व्यक्ति यहीं कहेगा;

हरएक कुआँ मीठे जल का नहीं होता।

(2) दूसरी भाषाओं के तत्सम या तदभव शब्दों का प्रयोग हिन्दी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, अँगरेजी के 'फुट' (foot) का बहुवचन 'फीट' (feet) होता है किन्तु हिन्दी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा- दो फुट लम्बी दीवारा है; न कि 'दो फीट लम्बी दीवार है'।

(3) प्राण, लोग, दर्शन, आँसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिन्दी में बहुवचन में होता है।

जैसे-आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए।

आपलोग आये, आर्शीवाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए।

(4) द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है।

जैसे- उनके पास बहुत सोना है:

उनका बहुत-सा धन बरबाद हुआ;

न नौ मन तेल होग, न राधा नाचेगी।

किन्तु, यदि द्रव्य के भित्र-भित्र प्रकारों का बोध हों, तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे- यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते है। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते है।

<u>कारक -Karak (case)</u>

कारक (case) की परिभाषा

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रुप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) सम्बन्ध सूचित हो, उसे (उस रुप को) 'कारक' कहते हैं।

अथवा- संज्ञा या सर्वनाम के जिस रुप से उनका (संज्ञाया सर्वनाम का) क्रिया से सम्बन्ध सूचित हो, उसे (उस रुप को) 'कारक' कहते हैं।

इन दो 'परिभाषाओं' का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब 'ने', 'को', 'से' आदि विभक्तियाँ लगती हैं, तब उनका रूप ही 'कारक' कहलाता हैं।

तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध रखने योग्य 'पद' होते है और 'पद' की अवस्था में ही वे वाक्य के द्रसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। 'ने', 'को', 'से' आदि विभित्र कारकों की है। इनके लगने पर ही कोई शब्द 'कारकपद' बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। 'कारकपद' या 'क्रियापद' बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता।

दूसरे शब्दों में- संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोडने वाले चिहन अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं।

जैसे- "रामचन्द्रजी ने खारे जल के समुद्र पर बन्दरों से पुल बँधवा दिया।"

इस वाक्य में 'रामचन्द्रजी ने', 'समुद्र पर', 'बन्दरों से' और 'पुल' संज्ञाओं के रूपान्तर है, जिनके दवारा इन संज्ञाओं का सम्बन्ध 'बँधवा दिया' क्रिया के साथ सूचित होती है।

दूसरा उदाहरण-

श्रीराम ने रावण को बाण से मारा

इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक-दूसरे से बँधा है और प्रत्येक शब्द का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में किया के साथ है।

यहाँ 'ने', 'को', 'से' शब्दों ने वाक्य में आये अनेक शब्दों का सम्बन्ध क्रिया से जोड दिया है। यदि ये शब्द न हो तो शब्दों का किया के साथ तथा आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाला रूप कारक होता है।

कारक के भेद-

हिन्दी में कारको की संख्या आठ है-

(1) कर्ता कारक (Nominative case)

(2) कर्म कारक (Accusative case)

(3) करण कारक (Instrument case)

(4) सम्प्रदान कारक (Dative case)

(5) अपादान कारक(Ablative case)

(6) सम्बन्ध कारक (Gentive case)

(7) अधिकरण कारक (Locative case)

(8) संबोधन कारक (Vocative case)

कारक के विभक्ति चिन्ह

कारकों की पहचान के चिहन व लक्षण निम्न प्रकार हैं-

कारक	लक्षण	चिह्न	कारक-चिह्न या विभक्तियाँ
(1) कर्ता	जो काम करें	ने	प्रथमा
(2) कर्म	जिस पर क्रिया का फल पड़े	को	द्वितीया
(3) करण	काम करने(क्रिया)का साधन	से, के द्वारा	तृतीया
(4) सम्प्रदान	जिसके लिए किया की जाए	को, के लिए	चतुर्थी
(5) अपादान	जिससे कोई वस्तु अलग हो	से (अलग के अर्थ में)	पंचमी
(6) सम्बन्ध	जो एक शब्द का दूसरे से सम्बन्ध जोड़े	का, की, के, रा, री, रे	षष्ठी
(7) अधिकरण	जो क्रिया का आधार हो	में, पर	सप्तमी
(8) सम्बोधन	जिससे किसी को पुकारा जाये	हे ! अरे ! हो !	सम्बोधन

विभक्तियाँ

सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें व्याकरण में 'विभक्तियाँ' अथवा 'परसर्ग' कहते हैं।

विभक्ति से बने शब्द-रूप को 'पद' कहते हैं। शब्द (संज्ञा और क्रिया) बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। ऊपर सभी कारकों के विभक्त-चिह्न दे दिये गये हैं।

विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएँ

प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

(i) सामान्यतः विभक्तियाँ स्वतन्त्र हैं। इनका अस्तित्व स्वतन्त्र है। चूँकि एक काम शब्दों का सम्बन्ध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होती। जैसे-ने, से आदि।

(ii) हिन्दी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। जैसे- मेरा, हमारा, उसे, उन्हें।

(iii) विभक्तियाँ प्राय : संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती है। जैसे- मोहन की दुकान से यह चीज़ आयी है।

विभक्तियों का प्रयोग

हिन्दी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिन्दी में दो तरह की विभक्तियाँ हैं-

(i) विश्लिष्ट और

(ii) संश्लिष्ट।

संज्ञाओं के साथ आनेवाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती है, अर्थात अलग रहती है। जैसे- राम ने, वृक्ष पर, लडकों को, लडकियों के लिए। सर्वनामों के साथ विभक्तियाँ संश्लिष्ट या मिली होती हैं। जैसे- उसका, किसपर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, उन्हें। यहाँ यह ध्यान रखना है कि तुम्हें-इन्हें में 'को' और तेरा-तुम्हारा में 'का' विभक्तिचिह्न संश्लिष्ट है। अतः 'के लिए'- जैसे दो शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट।

जैसे- तू + रे लिए = तेरे लिए; तुम + रे लिए = तुम्हारे लिए; मैं + रे लिए = मेरे लिए।

यहाँ प्रत्येक कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग का परिचय उदाहरणसहित दिया जाता है।

(1) कर्ता कारक (Nominative case)

वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कहते है। दूसरे शब्द में- क्रिया का करने वाला 'कर्ता' कहलाता है।

इसकी विभक्ति 'ने' लुप्त है।

जैसे- "मोहन खाता है।" इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है अतः कर्ता मोहन है।

"मनोज ने पत्र लिखा।" इस वाक्य क्रिया का करने वाला 'मनोज' कर्ता है।

विशेष- कभी-कभी कर्ता कारक में 'ने' चिह्न नहीं भी लगता है। जैसे- 'घोड़ा' दौडता है।

इसकी दो विभक्तियाँ है- ने और ०। संस्कृत का कर्ता ही हिन्दी का कर्ताकारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है- पहला वह, जिसमें 'ने' विभक्ति नहीं लगती, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। इसे 'अप्रत्यय कर्ताकारक' कहते है। एसे 'प्रधान कर्ताकारक' भी कहा जाता है।

उदाहरणार्थ, 'मोहन खाता है। यहाँ 'शाता हैं' क्रिया है, जो कर्ता 'मोहन' के लिंग और वचन के अनुसार है। इसके विपरीत जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते है, वहाँ 'ने' विभक्ति लगती है। इसे व्याकारण में 'सप्रत्यय कर्ताकारक' कहते हैं। इसे 'अप्रधान कर्ताकारक' भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, 'श्याम ने मिठाई खाई'। इस वाक्य में क्रिया 'खाई' कर्म 'मिठाई' के अनुसार आयी है।

कर्ता के 'ने' चिह्न का प्रयाग कर्ताकारक की विभक्ति 'ने' है। बिना विभक्ति के भी कर्ताकारक का प्रयोग होता है। 'अप्रत्यय कर्ताकारक' में 'ने' का प्रयोग न होने के कारण वाक्यरचना में कोई खास कठिनाई नहीं होती। 'ने' का प्रयोग अधिकतर 'पश्चिमी हिन्दी' में होता है।

बनारस से पंजाब तक इसके प्रयोग में लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती; क्योकि इस 'ने' विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है।

हिन्दी भाषा की इस विभक्ति से अहिन्दीभाषी घबराते हैं। लेकिन, थोडी सावधानी रखी जाय और इसकी व्यत्पत्ति को ध्यान में रखा जाय, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि "इसका स्वरूप तथा प्रयोग जैसा संस्कृत में है, वैसा हिन्दी में भी है, हिन्दी में वैशिष्ट्य नहीं आया।"

खडीबोली हिन्दी में 'ने' चिह्न कर्ताकारक में संज्ञा-शब्दों की एक विश्लिष्ट विभक्ति है, जिसकी स्थिति बड़ी नपी-तुली और स्पष्ट है। किन्तु, हिन्दी लिखने में इसके प्रयोग की भूले प्रायः हो जाया करती हैं। 'ने' का प्रयोग केवल हिन्दी और उर्दू में होता है। अहिन्दीभाषियों को 'ने' के प्रयोग में कठिनाई होती है।

यहाँ यह दिखाया गया है कि हिन्दी भाषा में 'ने' का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता।

कर्ता के 'ने' विभक्ति-चिह्न का प्रयोग कहाँ होता?

'ने' विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है।

(i) 'ने' का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है, जब एकपदीय या संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। केवल सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुहेतुमद् भूतकालों में 'ने' विभक्ति लगती है। जैसे-

सामान्य भूत- राम ने रोटी खायी।

आसन्न भूत- राम ने रोटी खायी है।

पूर्ण भूत- राम ने रोटी खायी थी।

संदिग्ध भूत-राम ने रोटी खायी होगी।

हेतुहेतुमद् भूत- राम ने पुस्तक पढी होती, तो उत्तर ठीक होता।

तात्पर्य यह है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड शेष पाँच भूतकालों में 'ने' का प्रयोग होता है।

(i) सामान्यतः अकर्मक क्रिया में 'ने' विभक्ति नहीं लगती, किन्तु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएँ है, जैस- नहाना, छींकना, थूकना, खाँसना- जिनमें 'ने' चिह्न का प्रयोग अपवादस्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता।

जैसे- उसने थूका। राम ने छीका। उसने खाँसा। उसने नहाया।

(iii) जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाय, तब 'ने' का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं।

जैसे- उसने टेढी चाल चली। उसने लडाई लडी।

(iv) जब संयुक्त क्रिया के दोनों खण्ड सकर्मक हो, तो अपूर्णभूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे 'ने' चिह्न का प्रयोग होता है।

जैसे- श्याम ने उत्तर कह दिया। किशोर ने खा लिया।

(v) प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ, अपूर्णभूत को छोड शेष सभी भूतकालों में 'ने' का प्रयोग होता है।

कर्ता के 'ने' विभक्ति-चिह्न का प्रयोग कहाँ नहीं होता?

'ने' विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है।

(i) 'ने' का प्रयोग कर्ता के साथ होता है, जब एकपदीय या संयुक्त क्रिया भूतकालिक होती है। केवल सामान्य भूत-आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संगिग्ध भूत, हेतुहेतुमद् भूत कालो में 'ने' विभक्ति लगती है। जैसे-

सामान्य भूत-राम ने रोटी खायी।

आसन्न भूत-राम ने रोटी खायी है।

पूर्ण भूत-राम ने रोटी खायी थी।

संदिग्ध भूत-राम ने रोटी खायी होगी।

हेतुहेतुमद् भूत-राम ने पुस्तक पढी होत, तो उत्तर ठीक होता।

तात्पर्य यह है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड शेष पाँच भूतकालों में 'ने' का प्रयोग होता है।

(ii) सामान्यतः अकर्मक क्रिया में 'ने' विभक्ति नहीं लगती, किन्तु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएँ है, जैसे- नहाना, छीकना, थूकना, खोंसना-जिनमें 'ने' चिह्न का प्रयोग अपवादस्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता।

जैसे- उसने थूका। राम ने छीका। उसने खाँसा। उसने नहाया।

(iii) जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाय, तब 'ने' का प्रयोग होता हैष अन्यथा नहीं।

जैसे- उसने टेढी चाल चली। उसने लडाई लडी।

(iv) जब संयुक्त किया के दोनों खण्ड सकर्मक हो, तो अपूर्णभूत को छोड शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे 'ने' चिह्न का प्रयोग होता है।

जैसे- श्याम ने उत्तर कह दिया। किशोर ने खा लिया।

(v) प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ, अपूर्णभत को छोड शेष सभी भूतकालों में 'ने' का प्रयोग होता है।

जैसे- मैंने उस पढाया। उसने एक रुपया दिलवाया।

कर्ता के 'ने' विभक्ति-चिह्न का प्रयोग कहाँ नहीं होता?

'ने' विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता है।

(i) वर्तमान और भविष्यत् कालों की क्रिया में कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता।

जैसे-राम जाता है। राम जायेगा।

(ii) बकना, बोलना, भूलना- ये क्रियाएँ यद्यपि सकर्मक है, तथापि अपवादस्वरूप सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतकालों में कर्ता के 'ने' चिह्न का व्यवहार नहीं होता।

जैसे- वह गाली बका। वह बोला। वह मुझे भूला।

हाँ, 'बोलना' क्रिया में कहीं-कहीं 'ने' आता है।

जैसे- उसने बोलियों बोलीं।

वह बोलियाँ बोला- ऐसा भी लिखा या कहा जा सकता है।

(iii) यदि संयुक्त क्रिया का अन्तिम खण्ड अकर्मक हो, तो उसमें 'ने' का प्रयोगनहीं होता।

जैसे- मैं खा चुका। वह पुस्तक ले आया। उसे रेडियो ले जाना है।

(iv) जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएँ आती है उनमें 'ने' का प्रयोग नहीं होता। जैसे- वह खा चुका। मैं पानी पीने लगा। उसे पटना जाना है।

कर्ता में 'को' का प्रयोग

विध-क्रिया (चाहिए आदि) और सभाव्य भूत (जाना था, करना चाहिए था आदि) में कर्ता 'को' के साथ आता है। जैसे- राम को जाना चाहिए। राम को जाना था,जाना चाहिए था।

(2) कर्म कारक (Accusative case)**-** जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पडे उसे कर्म कारक कहते है।

दूसरे शब्दों में- वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पडता है, उसे कर्म कारक कहते है।

इसक विभक्ति 'को' है।

जैसे- माँ बच्चे को सुला रही है।

इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड रहा है। इसलिए 'बच्चे को' कर्म कारक है।

राम ने रावण को मारा। यहाँ रावण को कर्म है।

विशेष- कभी-कभी 'को' चिह्न का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे- मोहन पुस्तक पढता है।

कर्मकारक का प्रत्यय चिह्न 'को' है। बिना प्रत्यय के या अप्रत्यय कर्म के कारक का भी प्रयोग होता है। इसके नियम है-

(i) बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ 'को' विभक्ति लगती है।

जैसे- मैंने हरि को बुलाया।

माँ ने बच्चे को सुलाया।

शला ने सावित्री को जो भर कोसा।

पिता ने पुत्र को पुकारा।

हमने उसे (उसकी) खूब सबेरे जगाया।

लोगों ने शेरगुल करके डाकुओं को भगाया।

(ii) 'मारना' क्रिया का अर्थ जब 'पीटना' होता है, तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि उसका अर्थ 'शिकार करना' होता है, तो विभक्ति नहीं लगती, अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है।

जैसे-

लोगों ने चोर को मारा।

पर- शिकारी ने बाध मारा।

हरि ने बैल को मारा।

पर-मछुए ने मछली मारी।

(iii) बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्वशक्ति जताने के लिए कर्म सप्रत्यय रखा जाता है। जैसे- मैंने यह तालाब खुदवाया है, मैंने इस तालाब को खुदवाया है। दोनों वाक्यों में अर्थ का अन्तर ध्यान देतने योग्य है। पहले वाक्य के कर्म से कर्ता में साधारण कर्तृत्वशक्ति का और दूसरे वाक्य में कर्म से कर्ता में विशेष कर्तृत्वशक्ति का बोध होता है। इस तरह के अन्य वाक्य है- बाध बकरी को खा गया, हरि ने ही पेड को काटा है, लडके ने फलों को तोड लियि इत्यादि। जहाँ कर्ता में विशेष कर्तृत्वशक्ति का बोध कराने की आवश्यकता न हो, वहाँ सभी स्थानों पर कर्म को सप्रत्यय नहीं रखना चाहिए।

इसके अतिर्कित, जब कर्म निर्जीव वस्तु हो, तब 'को' का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे- राम ने रोटी को खाया की अपेक्षा राम ने रोटी खायी ज्यादा अच्छा है। मैं कॉलेज को जा रहा हूं; मैं आम को खा रहा हूँच मैं कोट को पहन रहा हूँ- इन उदाहरणों में 'को' का प्रयोग भद्दा है। प्रायाः चेतन पदार्थों के साथ 'को' चिह्न का प्रयोग होता है और अचेतन के साथ नहीं। पर यह अन्तर वाक्य-प्रयोग पर निर्भर करता है।

(iv) कर्म सप्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुंलिंग होगा, किन्तु अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार।

जैसे- राम ने रोटी को खाया (सप्रत्यय), राम ने रोटी खाय (अप्रत्यय)।

(v) यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, तो कर्म में 'को' अवश्य लगता है।

जैसे- बडों को पहले आदर दो, छोटो को प्यार करो।

MODULE II

सर्वनाम - Sarvanam (Pronoun)

जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरणः में. तू. आप (स्वय), यह, वह, जो, कोई, कोई, कुछ, कौन, क्या।

सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के मुख्य रूप से छः भेद हैं :

(1) पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)

(2) निजवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronouns)

(3) निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative pronouns)

(4) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronouns)

(5) सम्बन्धवाचक सर्वनाम (Relative Pronouns)

(6) प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronouns)

पुरुषवाचक सर्वनाम (Purushvachak Sarvanam)

जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- मैं, तुम, हम, आप, वे।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं:

उत्तम पुरुष (प्रथम पुरुष)

इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है।

उदाहरणः मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको।

मध्यम पुरुष

इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है।

उदाहरणः तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हे, तुम्हारा ।

आदर सूचकः आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि।

अन्य पुरुष

इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है।

उदाहरणः वह, उसने, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि।

निजवाचक सर्वनाम (Nijvachak Sarvanam)

जो सर्वनाम शब्द करता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप।

उदाहरणः

उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया।

मैं खुद फोन कर लूँगा।

तुम स्वयं यह कार्य करो।

श्वेता आप ही चली गयी।

नोटः इसके 'आप' का प्रयोग का अपने लिए/ स्वयं होता है आदर सूचक 'आप' के लिए नहीं।

निश्चयवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयकवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः यह, वह, ये, वे।

उदाहरणः

यह मेरी घडी है।

वह एक लड़का है।

वे इधर ही आ रहे हैं।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः कुछ, किसी ने (किसने), किसी को, किन्ही ने, कोई, किन्ही को।

उदाहरणः

लस्सी में कुछ पडा है।

भिखारी को कुछ दे दो।

कौन आ रहा है।

राम को किसने बुलाया है।

शायद किसी ने घंटी बजायी है।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध ज्ञात होता है उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसः जो-सो, जहाँ-वहाँ, जैसा-वैसा, जौन- तौन।

उदाहरणः

जहाँ चाह वहाँ राह।

जैसा बोओगे वैसा काटोगे।

वह कौन है जो रो पडा।

जो सो गया वो खो गया।

जो करेगा सो भरेगा।

प्रश्नवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसेः कौन, कहाँ, क्या, कैसे।

उदाहरण :

रमेश क्या खा रहा है।

कमरे मैं कौन बैठा है।

वे कल कहाँ गए थे।

आप कैसे हो।

नोट : कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी होते हैं संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा गया हैं।

जैसे : जो कोई, सब कोई, कुछ और, कोई न कोई।

उदाहरण :

जो कोई आए उसे रोक लो।

जाओ, वहाँ कोई न कोई तो मिल ही जायेगा।

देखो, कुछ और लोग वहाँ हैं।

कोई- कोई तो बिना बात बहस करता है।

कौन- कौन आ रहा है।

किस- किस कमरे में छात्र पढ़ रहे है।

अपना- अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ।

अब कुछ- कुछ याद आ रहा है।

विशेषण (Adjective)

विशेषण की परिभाषा

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते है उन्हें विशेषण कहते है।

इसे हम ऐसे भी कह सकते है- जो किसी संज्ञा की विशेषता (गुण, धर्म आदि) बताये उसे विशेषण कहते है।

दूसरे शब्दों में- विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है।

जैसे- यह भूरी गाया है, आम खट्टे है।

उपयुक्त वाक्यों में 'भूरी' और 'खट्टे' शब्द गाय और आम (संज्ञा) की विशेषता बता रहे है। इसलिए ये शब्द विशेषण है।

इसका अर्थ यह है कि विशेषणरहित संज्ञा से जिस वुस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सिमित हो जाता है। जैसे- घोडा, संज्ञा से घोडा-जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर 'काला घोडा' कहने से केवल काले घोडे का बोघ होता है, सभी तरह के घोडों का नहीं।

यहाँ 'काला' विशेषण से 'घोडा' संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित (सिमित) हो गयी है। कुछ वैयाकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम है। लेकिन, ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बना नहीं हो सकता।

विशेष्य- विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते है, वे विशेष्य कहलाते है।

दूसरे शब्दों में- जिस शब्दकी विशेषता प्रकट की जाये, उसे विशेष्य कहते हैं।

जैसे- उपयुक्त विशेषण के उदाहरणों में 'गाय' और 'आम' विशेष्य है क्योंकि इन्हीं की विशेषता बतायी गयी है।

प्रविशेषण-कभी- कभी विशेषणों के भी विशेषण बोले और लिखे जाते है।जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते है, वे प्रविशेषण कहलाते है।

जैसे-यह लडकी बहुत अच्छी है।

में पूर्ण स्वस्थ हुँ।

उपर्युक्त वाक्य में 'बहुत' 'पूर्ण' शब्द 'अच्छी' तथा 'स्वस्थ' (विशेषण) की विशेषता बता रहे है, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण है।

विशेषण के प्रकार

विशेषण निम्नलिखित पाँच प्रकार होता है-

(1) गुणवाचक विशेषण (Adjective of Quality)

(2) संख्यावाचक विशेषण (Adjective of Number)

(3) परिमाणवाचक विशेषण (Adjective of Quantity)

(4) संकेतवाचक विशेषण (Demonstrative Adjective)

(5) व्यक्तिवाचक विशेषण (Proper Adjective)

(1) गुणवाचक विशेषणः वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द (विशेष्य) के गुण-दोष, रूप-रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते है।

जैसे- गुण वह एक अच्छा आदमी है।

रंग-काला टोपी, लाला रुमाल।

आकार- उसका चेहरा गोल है।

अवस्था- भूखे पेट भजन नहीं होता।

गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा/कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जाता है, जो विशेषण होता है।

विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार है।

2. परिमाणवाचक विशेषण

जिन विशेशण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप-तोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।

परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद है-

1. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो। जैसे-

(क) मेरे सूट में साढ़े तीन मीटर कपड़ा लगे गा।

(ख) दस किलो चीनी ले आओ।

(ग) दो लिटर दूध गरम करो।

2. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण-जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो। जैसे-

(क) थोड़ी-सी नमकीन वस्तु ले आओ।

(ख) कुछ आम दे दो।

(ग) थोड़ा-सा दूध गरम कर दो।

3. **संख्यावाचक विशेषण**

जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहा है।

संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं-

1. निश्चित संख्यावाचक विशेषण- जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे -दो पुस्तकें मेरे लिए ले आना।

निश्चित संख्यावातक के निम्नलिखित चार भेद हैं-

(क) गणवाचक- जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो। जैसे-

1. एक लड़का स्कू ल जा रहा है।
2. पच्चीस रुपये दीजिए।
3. कल मेरे यहाँ दो मित्र आएँगे।
4. चार आम लाओ।

(ख) क्रमवाचक- जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो। जैसे-

1. पहला लड़का यहाँ आए।
2. दूसरा लड़का वहाँ बैठे।
3. राम कक्षा में प्रथम रहा।
4 श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है।

(ग) आवत्तिवाचक- जिन शब्दों के द्वारा के वल आवृत्ति का बोध हो। जैसे-

1. मोहन तु मसे चौगु ना काम करता है।
2. गोपाल तु मसे दुगु ना मोटा है।

(घ) समुदायवाचक-जिन शब्दों के द्वारा के वल सामूहिक संख्या का बोध हो। जैसे-

1. तुम तीनों को जाना पड़ेगा।
2. यहाँ से चारों चले जाओ।

2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण-जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो। जैसे- कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं।

4. संकेतवाचक (निर्देशक) विशेषण

जो सर्वनाम संकेतद्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते है वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। । इन्हें निर्देशक भी कहते हैं।

1. परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर-जिन वस्तुओं क नाप-तोल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं---------- कछ शब्द तोल के लिए आया है। इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे- कुछ बच्चे आओ। यहाँ पर कछ बच्चों की गिनती के लिए

आया है। इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थ वाचक संज्ञाएँ आएँगी जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएँ आती है।

2. सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर-जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे- वह मुंबई गया। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द संज्ञा से पूर्व अथवा विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते जैसे- वह रथ आ रहा है। इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है। अतः यह सार्वनामिक विशेषण है।

Kal (Tense)

काल की परिभाषा

क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में- क्रिया के उस रूपान्तर को काल कहते हैं, जिससे उसके कार्य-व्यापर का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो।

जैसे-

(1) बच्चे खेल रहे हैंय़ मैडम पढा रही है।

(2) बच्चे खेल रहे थे। मैडम पढा रही थी।

(3) बच्चे खेलेगे। मैडम पढायेंगी।

पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है।

काल के भेद

काल के तीन भेद होते हैं-

(1) वर्तमान काल (Present Tense)- जो समय चल रहा है।

(2) भूतकाल (Past Tense)- जो समय बीत चुका है।

(3) भविष्यत काल (Future Tense)- जो समय आने वाला है।

(1) वर्तमान काल – क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं।

जैसे- पिता जी समाचार सुन रहे हैं।

पुजारी पूजा कर रहा है।

प्रियंका स्कूल जाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएँ वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं।

वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अन्त में 'ता, ती, ते, है, हैं' आदि आंते है।

वर्तमान काल के भेद

वर्तमान काल के पाँच भेद होते है-

(i) सामान्य वर्तमानकाल

(ii) तत्कालिक वर्तमानकाल

(iii) पूर्ण वर्तमानकाल

(iv) संदिग्ध वर्तमानकाल

(v) संभाव्य वर्तमानकाल

(i) सामान्य वर्तमानकालः क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमानकाल में होना पाया जाय, सामान्य वर्तमानकाल कहलाता है।

दूसरे शब्दों में- जो क्रिया वर्तमानकाल में सामान्य रूप से होत है, वह सामान्य वर्तमान काल क क्रिया कहलाती है। जैसे- वह आता है। वह देखता है। दादी माला जपती हैं।

(ii) तत्कालिक वर्तमानकालः इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमानकाल में हो रही है। जैसे- में पढ रहा हूँ; वह जा रहा है।

(iii) पूर्ण वर्तमानकालः इससे वर्तमानकाल में कार्य क पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे- वह आया है; सीता ने पुस्तक पढी है।

(iv) संदिग्ध वर्तमानकालः जिससे क्रिया के होने में सन्देह प्रकट हो पर उसक वर्तमानकाल में सन्देह न हो। उसे संदिग्ध वर्तमानकाल कहते हैं।

सरल शब्दों में-

जिसे क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमानकाल कहते हैं।

जैसे- राम खाता होगा; वह पढता होगा।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है। अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं।

(v) सम्भाव्य वर्तमानकालः इससे वर्तमानकाल में काम के पूरा होने की सम्भावना रहती है।

जैसे- वह आया हो; वह लौटा हो।

(2) भूतकाल

क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते है।

सरल शब्दों में- जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं।

जैसे- वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ ली थी।

उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। अतः ये भूतकाल के वाक्य है।

भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अन्त में 'था, थे, थी' आदि आते हैं।

भूतकाल के भेद

भूतकाल के छह भेद होते है-

(i) सामान्य भूतकाल

(ii) आसन भूतकाल

(iii) पूर्ण भूतकाल

(iv) अपूर्ण भूतकाल

(v) संदिग्ध भूतकाल

(vi) हेतुहेतुमद् भूत

(i) सामान्य भूतकाल

जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में- क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीत समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।

जैसे- मोहन आया।

सीता गयी।

श्रीराम ने रावण को मारा

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ बीते हुए समय में पूरी हो गई। अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएँ हैं।

(ii) आसन्न भूतकाल

क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं।

इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है।

जैसे- मैने आम खाया है।

मैं अभी सोकर उठी हूँ।

अध्यापिका पढाकर आई हैं।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ अभी-अभी पूर्ण हूई हैं। इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएँ हैं।

(iii) पूर्ण भूतकाल

क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते है, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है।

क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं।

जैसे- उसने श्याम को मारा था।

अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था।

महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएँ अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थीं। अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएँ है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ 'था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे' आदि लगता है।

(iv) अपूर्ण भूतकाल

इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किन्तु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता।

जैसे- सूरेश गीत गा रहा था।

रीता सो रही थी।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएँ से कार्य के अतीत में आरंभ होकर, अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएँ है।

(v) संदिग्ध भूतकाल

भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते है।

इसमें यह सन्देह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं।

जैसे- तू गाया होगा।

बस छूट गई होगी।

दुकानें बंद हो चुकी होगी।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है। अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएँ हैं।

(vi) हेतुहेतुमद् भूतकाल

यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न निर्भर करता है, तो वह हेतुहेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाती है।

इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनेवाली थी, पर किसी कारण न हो सका।

यदि तुमने परिश्रम किया होता, तो पास हो जाते।

यदि वर्षा होत, तो फसल अच्छी होती।

उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएँ एक-दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। अतः ये हेतुहेतुमद् भूतकाल की क्रियाएँ है।

(3) भविष्यत काल

भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अन्त में 'गा, गी, गो' आदि आते है।

भविष्यत काल के भेद

भविष्यत काल के तीन भेद होते है-

(i) सामान्य भविष्यत काल

(ii) सम्भाव्य भविष्यत काल

(iii) हेतुहेतुमद्धविष्य भविष्यत काल

(i) सामान्य भविष्यत काल

क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं।

इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी।

जैसे- बच्चे कैरमबोई खेलेंगे।

वह घर जायेगा

दीपक अखबार बेचेगा

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएँ भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है। अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएँ हैं।

(ii) सम्भाव्य भविष्यत काल

क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे सम्भाव्य भविष्यत काल कहते हैं।

जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की सम्भावना हो।

जैसे- शायद चोर पकडा जाए।

परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से होगी, ऐसा निश्चित नहीं होता। अतः ये सम्भाव्य भविष्यत काल की क्रियाएँ हैं।

(iii) हेतुहेतुमद्भविष्य भविष्यत काल

इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है।

जैसे- वह आये तो मै जाऊ वह कमाये तो मैं खाऊँ।

वाच्य Voice

वाच्य-क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है, अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं।

वाच्य के तीन प्रकार है-

(1) कर्तृवाच्य। (Active Voice)

(2) कर्मवाच्य। (Passive Voice)

(3) भाववाच्य। (Imporsonal Voice)

(1) कर्तृवाच्य

क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य (क्रिया के कर्ता) का बोध हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे-

(1) बच्चा खेलता है।

(2) घोड़ा भागता है।

इन वाक्यों में 'बच्चा', 'घोड़ा' कर्ता हैं तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है। अतः 'खेलता है', 'भागता है' ये कर्तृवाच्य है।

(2) कर्मवाच्य- क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य 'कर्म' प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे-

1. भारत-पाक युद्ध में सहस्रों सैनिक मारे गए।
2. छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई।
4. बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए।

इन वाक्यों में क्रियाओं में 'कर्म' की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप-रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप 'कर्मवाच्य' कहलाते हैं।

(3) भाववाच्य- क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव (क्रिया का अर्थ) ही जाना जाए वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की होती है।

प्रयोग

प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं-

1. कर्तरि प्रयोग।
2. कर्मणि प्रयोग।
3. भावे प्रयोग।

1. कर्तरि प्रयोग- जब कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप क्रिया हो तो वह 'कर्तरि प्रयोग' कहलाता है। जैसे-

1. लड़का पत्र लिखता है।
2. लड़कियाँ पत्र लिखती है।

इन वाक्यों में 'लड़का' एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष है और उसके साथ क्रिया भी 'लिखता है' एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष है। इसी तरह 'लड़कियाँ पत्र लिखती है' दूसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन, स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है तथा उसकी क्रिया भ 'लिखती हैं' बहुवचन स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है।

2. कर्मणि प्रयोग – जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप हो तो वह 'कर्मणि प्रयोग' कहलाता है।

जैसे-

1. उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया।
2. छात्रों से निबंध लिखे गए।
3. युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए।

इन वाक्यों में 'उपन्यास' 'सैनिक', कर्म कर्ता की स्थिति में है अतः उनकी प्रधानता है। इनमें क्रिया का रूप कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप बदला है, अतः यहाँ 'कर्मणि प्रयोग' है।

3. भावे प्रयोग- कर्तरि वाच्य की सकर्मक क्रियाएँ, जब उनके कर्ता और कर्म दोनों विभक्तियुक्त हों तो वे 'भावे प्रयोग' के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार भाववाच्य की सभी क्रियाएँ भी भावे प्रयोग में मानी जाती है। जैसे-

1. अनीता ने बेल को सींचा।
2. लड़कों ने पत्रों को देखा है।
3. लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा है।
4. अब उससे चला नहीं जाता है।

इन वाक्यों की क्रियाओं के लिंग, वचन और पुरुष न कर्ता के अनुसार हैं और न ही कर्म के अनुसार, अपितु वे एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हैं। इस प्रकार के 'प्रयोग भावे' प्रयोग कहलाते हैं।

वाच्य परिवर्तन

1) कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना-

1. कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए।
2. उस परिवर्तित क्रिया-पूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए।
3. इनमें 'से' अथवा 'के द्वारा' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-

कर्तृवाच्य कर्मवाच्य

1. श्यामा उपन्यास लिखती है। श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है।
2. श्यामा ने उपन्यास लखा। श्यामा से उपन्यास लिखा गया।
3. श्यामा उपन्यास लिखेगी। श्यामा से (के द्वारा) उपन्यास लिका जाएगा।

2) कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना-

1. इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एकवचन में रखनी चाहिए।
2. कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए।
3. क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए।
4. आवश्यकतानुसार निषेधसूचक 'नहीं' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-

कर्तृवाच्य भाववाच्य

1. बच्चे नहीं दौड़ते। बच्चों से दौड़ा नहीं जाता।
2. पक्षी नहीं उड़ते। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता।
3. बच्चा नहं सोया। बच्चे से सोया नहीं जाता।

MODULE III

पत्र-लेखन

पत्र-व्यवहार का मुख्य उद्देश्य है सन्देशों का आदान-प्रदान किन्तु इसके द्वारा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्य भी सम्पन्न होते हैं। दुनिया भर में सरकारी कार्यकलाप पत्रों के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गयी है कि नौकरी पाने, नियुक्ति करने और उससे सम्बन्धित अनेक कार्यों में पत्र-लेखन काम में आता है। बधाई देने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, शिकायत के लिए और विवाह आदि उत्सवों पर निमन्त्रण देने के लिए भी पत्रों का आदान-प्रदान होता है। आधुनिक जीवन में पत्र-व्यवहार के बढ़ते हुए महत्त्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ पत्र-लेखन की कला में दक्ष होना भी मनुष्य के लिए आवश्यक हो गया है।

अच्छे पत्र की विशेषताएँ

अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ मानी गयी हैं-

1. सरल भाषा-शैली 2. विचारों की स्पष्टता 3. संक्षिप्तता 4. प्रभावान्विति 5. बाहरी सजावट।

1. सरल भाषा-शैली

पत्र में व्यवहृत भाषा सरल होनी चाहिए। सरल, सटीक और उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से पत्र प्रभावशाली हो जाता है। बात को घुमा-फिराकर न कहकर सीधे-सादे ढंग से कहना चाहिए।

2. विचारों की स्पष्टता

पत्र में अभिव्यक्त विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। पत्र-लेखक को पांडित्य प्रदर्शन से बचे रहना चाहिए।

3. संक्षिप्तता

पत्र में विस्तृत विवरण, अकिशयोक्ति आदि के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। एक ही बात को बार-बार दोहराना ठीक नहीं है। मुख्य बातें आरम्भ में ही लिखी जानी चाहिए। पत्र-लेखन का सारा आशय पाठक के दिमाग में पूरी तरह बैठ जाना चाहिए।

4. प्रभावान्विति

पत्र का पूरा प्रभाव पाठकर पर पड़ना चाहिए। पत्र-लेखन में विनय और सौहार्द्र के भाव होने चाहिए।

5. बाहरी सजावट :- अच्छा कागज, सुन्दर और साफ लिखावट, विरामादि चिन्हों का यथास्थान प्रयोग आदि बाहरी सजावट के अन्तर्गत आते हैं। विषय-वस्तु के अनुपात में पत्र का कागज लम्बा-चौड़ा होना चाहिए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अन्त अपने-अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए।

पत्रों के प्रकार

पत्र मुख्यतया चार प्रकार के होते हैं-

1. पारिवारिक पत्र 2. व्यावसायिक पत्र 3.आधिकारिक पत्र 4. कार्यालयीय पत्र

1. पारिवारिक पत्र

परिवार के किसी सदस्य या सम्बन्धी को लिखे जाने वाले पत्र। इन्हें निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। मित्रों को लिखे जानेवाले पत्र भी इनके अन्तर्गत आते हैं।

2. व्यावसायिक पत्र

इन पत्रों का सम्बन्ध व्यक्ति के अपने व्यवसाय से होता है। एक व्यवसायी किसी अन्य व्यवसायी अथवा ग्राहक को व्यवसाय से सम्बन्धित जो पत्र लिखता है उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं।

3. आधिकारिक पत्र

जो पत्र अधिकारियों को भेजे जाते हैं, वे आधिकारिक पत्र कहलाते हैं। आवेदन पत्र आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।

4. कार्यालयीय पत्र

जो पत्र शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं के कार्यालयों द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं, वे कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। इनकी रूपरेखा सामान्य पत्रों से बिल्कुल भिन्न होती है।

पारिवारिक पत्र

पारिवारिक पत्र में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिएः

1. पत्र के ऊपर दायें हाथ पर प्रेषक का पता और उसके नीचे पत्र भेजने की तिथि लिखनी चाहिए।
2. तिथि से अगली पंक्ति मे बायें हाथ पर उपयुक्त सम्बोधन लिखा जाए।
3. सम्बोधन के बाद अगली पंक्ति में समुचित अभिवादन भी लिखना चाहिए।
4. इसके बाद पत्र का मुख्य कलेवर आता है। इसके अन्तर्गत वे सब बातें लिखी जाती हैं, जिन्हें पत्र पानेवाले को बतलाना अभीष्ट होता है।
5. कलेवर के बाद स्वनिर्देश अर्थात् अपना उल्लेख करना होता है। इसके द्वारा प्रेषिती (पाने वाले) के साथ पत्र-प्रेषक का सम्बन्ध सूचित किया जाता है। यह स्वनिर्देश पत्र के नीचे दायें हाथ पर लिखा जाता है।
6. स्वनिर्देश के ठीक नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर रहते हैं।

<u>पारिवारिक पत्रों के नमूने</u>

पुत्र का पत्र पिता के नाम

31 बिड़ला छात्रावास
हिल रोड, बाँद्रा
मुम्बई-50
दि 25 जनवरी, 1990

पूज्य पिताजी,

सादर प्रणाम !

आपका 15 जनवरी का पत्र मिला। पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ मजे में हूँ और जी लगाकर पढ़ रहा हूँ। अब हमारी परीक्षा में सिर्फ दो दिन रह गये हैं, इसलिए पढ़ाई में विशेष परिश्रम कर रहा हूँ।

आपने जो 200 रु, भेजे थे, ये समाप्त हो गये हैं। छात्रवास की फीस अभी देनी है और मुझे कुछ आवश्यक चीजें खरीदनी भी हैं। यह पत्र मिलते ही 200 रुपये और भेज देने की कृपा करें।

माताजी को मेरा प्रणाम और चुन्नू को प्यार।

आपका प्रिय पुत्र
शम्भुदयाल

<u>जन्मोत्सव में उपस्थित न हो सकने हेतु मित्र को पत्र</u>

प्रिय मित्र सुभाष,
नमस्ते।

मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशालपूर्वक होगे। मुझे आज ही तुम्हारा पत्र मिला और जानकर प्रसन्नता हुई कि 26 फरवरी को तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने मुझे अपने जन्मोत्सव में आमंत्रित किया है। मित्र, मेरी अंतिम परीक्षा समीप है जिस कारण मैं तुम्हारे जन्मोत्सव में उपस्थित न हो सकूँगा। मैं तुम्हे जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ तथा तुम्हारी लम्भी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जन्मदिन के उपहार के रूप में तुम्हें घड़ी भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हे पसंद आयेगी।
अच्छा अब पत्र समाप्त करता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे माता-पिता जी को सादर प्रणाम।

तुम्हारा प्रिय मित्र

19 जनवरी, 2014

निमन्त्रण-पत्रों की एक और कोटि

निमन्त्रण-पत्रों की एक और कोटि है जिसकी रूपरेखा पारिवारिक या निजी पत्रों से भिन्न होती है। ये प्रायः छपे हुए होते हैं जिनमें केवल प्रेषिती के नाम की जगह खाली छोड़ दी जाती है। इनमें प्रेषक का पता और दिनांक पत्र में नीचे बायीं ओर लिखी जाती है। सम्बोधन और अभिवादन दोनों ही नहीं होते। स्वनिर्देश के लिए 'दर्शनाभिलाषी' लिखा जाता है और उसके नीचे एक या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम छपे रहते हैं। निमन्त्रण-पत्रों में केवल प्रेषिती का नाम ही स्याही से लिखा जाता है।

विवाह का निमन्त्रण-पत्र

श्रीमान्/श्रीमती............

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे प्रिय पुत्र पंकज कुमार का शुभ विवाह कानपुर निवासी राम बहादुर सिंह की सुपुत्री कुमारी अलका से होना निश्चित हुआ है। विवाह की तिथि वृहस्पतिवार 9 फरवरी, 1990 निश्चित है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर सपरिवार पधारकर विवाह की शोभा बढ़ायें।

12, महानगर — दर्शनाभिलाषी

लखनऊ — सूरजप्रताप सिंह

सूचना-बारात 8 फरवरी को प्रातः 9 बजे 18, महानगर से बस द्वारा प्रस्थान करेगी। कृपया प्रातः ठीक 7.30 बजे तक अवश्य तैयार होकर आ जाएँ।

<u>अपने शहर के दर्शनीय स्थलों की प्रशंसा करते हुए अपने मामाजी को पत्र</u>

आदरणीय मामाजी,

सादर प्रणाम।

हम सभी यहाँ सकुशल हैं और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी कुशालपूर्वक होंगे। मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। मेरी इच्छा है कि आप इन गर्मी की छुट्टियों में भाई को लेकर यहाँ लखनऊ आयें। लखनऊ एक बड़ा एवं खूबसूरत शहर है और क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा हैं जो मुगल साम्राज्य की निशानी हैं। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी देखने लायक है। लखनऊ में आंचलिक विज्ञान कें, कलगांव, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, इंदिरा गाँधी नक्षत्र शाला, भूल-भुलैया एवं शहीद स्मारक इत्यादि भी हैं जो अच्छे दर्शनीय स्थल हैं।

अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर भाई के साथ आयेंगे। मामीजी को सादर नमस्ते और भाई को स्नेहाशीष।

आपका प्रिय भांजा

18 फरवरी, 2014

व्यावसायिक पत्र

व्यावसायिक पत्र का ढाँचा पारिवारिक पत्रों के ढाँचे से भिन्न है। व्यावसायिक पत्रों में प्रेषक का पता या तो ऊपर छपा रहता है अथवा दायीं ओर लिखा जाता है। तार का पता या फोन नं. भी इसी के साथ-साथ ऊपर या नीचे सुविधानुसार दे दिया जाता है। दायीं ओर प्रेषक के पते के नीचे दिनांक लिखा जाता है। इसके नीचे कुछ जगह छोड़कर प्रेषिती का नाम-पता लिखा जाता है। सम्बोधन के लिए 'प्रिय महोदय' लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता। स्वनिर्देश तथा हस्ताक्षर अन्य पत्रों की भाँति दायीं ओर पत्र के नीचे होते हैं। स्वनिर्देश के अन्तर्गत साधारणतः 'आपका विश्वासभाजन', 'भवदीय' आदि का प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर सदैव स्पष्ट न हों तो हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में टाइप कर देना या लिख देना चाहिए। यदि हस्ताक्षरकर्त्ता दूसरे सज्जन के दायित्व पर पत्र लिख रहा है, तो उसे 'निमित्त', 'वास्ते', 'के लिए', 'कृते' आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

आधिकारिक पत्र

विभिन्न प्रकार के आवेदन और शिकायती पत्र इसके अन्तर्गत आते हैं। इसका ढाँचा व्यावसायिक पत्र के ढाँचे से थोड़ा भिन्न है। पारिवारिक पत्र की तरह इसमें पत्र-प्रेषक का पता दायें हाथ पर ऊपर के कोने में लिखा जाता है और उसके नीचे दिनांक भी लिखा जाता है। फिर अगली पंक्ति में बायें कोने पर प्रेषिती का पद और पता लिखा जाता है। सम्बोधन के लिए 'महोदय' शब्द का प्रयोग होता है और अभिवादन होता ही नहीं है। स्वनिर्देश तथा हस्ताक्षर पत्र के नीचे दायीं ओर रहते हैं।

आवेदन- 1

(प्राध्यापक की नौकरी के लिए)

31, वसन्त विहार
नयी दिल्ली
दि. 2 जून, 1990

प्रिंसिपल महोदय
विक्टोरिया कॉलेज
नयी दिल्ली

महोदय,

31 मई के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में आपका विज्ञापन पढ़ने से ज्ञात हुआ की आपके कॉलेज में एक वाणिज्य के लेक्चरार का स्थान रिक्त है। मैं इस पद पर नियुक्ति की इच्छा से यह प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूँ।

मेरी योग्यता तथा अनुभव के सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित निवेदन करना है-

1. शिक्षा-

(क) हायर सेकेण्ड्री कामर्स- मध्य प्रदेश बोर्ड-प्रथम श्रेणी।

(ख) बी. कॉम- सागर यूनिवर्सिटी- प्रथम श्रेणी-द्वितीय स्थान।

(ग) एम-कॉम- दिल्ली विश्वविद्यालय- प्रथम श्रेणी- द्वितीय स्थान।

(घ) एम.फिल- दिल्ली विश्वविद्यालय- प्रथम श्रेणी- द्वितीय स्थान।

2. अनुभव-

लेक्चरॉर वाणिज्य विभाग- एक वर्ष- महाराजा कॉलेज, दिन्दौर, (बी. कॉम तथा एम.कॉम कक्षाओं में अध्यापन।)

3. प्रकाशित रचनाएँ-

(क) 12 लेख - प्रत्येक की एक-एक प्रति रजिस्टर्ड।

(ख) 3 पुस्तिकाएँ - पोस्ट से पृथक भेजी है।

4. अन्य विशेषताएँ-

उत्तम स्वास्थ्य, आयु 26 वर्ष, खेल-कूद में रुचि, वाद-विवाद प्रयियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

5. सन्दर्भ तथा प्रमाण-पत्र

निम्नलिखित महानुभावों के प्रमाण-पत्र तथा प्रशंसा-पतँ संलग्न हैं, जिससे मेरे चरित्र का भी पता मिलता है-

1. प्रिंसिपल, महाराजा कॉलेज, इन्दौर।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

अन्त में आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मुझे विश्वास है कि मैं आपको अपनी योग्या से प्रभावित करने में समर्थ हो सकूँगा। यदि आप मेरी नियुक्ति इस पद के लिए कर सकें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क प्राध्यापक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का मैं सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाऊँगा।

भवदीय

गिरिजाशंकर दुबे

प्रधानाचार्य को एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थनापत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्या महोदया,
महानगर गर्ल्स स्कूल,
महानगर,
लखनऊ

महोदया,

सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा छह 'अ' की छात्रा हूँ। मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर ने मुझे एक सप्ताह तक, विश्राम करने के लिए कहा है। इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ।
अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 12-01-2014 से 18-01-2014 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।

आपकी
आज्ञाकारी शिष्या

12 जनवरी, 2014

पुलिस की लापरवाही के संबंध में एक शिकायती पत्र अखबार के संपादक के लिए

सेवा में,
संपादक महोदय
दैनिक जागरण
दैनिक हिंदी समाचार पत्र
हज़रतगंज,
लखनऊ

महोदय,

मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से आप सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ की आजकल शहर में पुलिस की लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोगों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिन-दहाड़े चोरी व लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। लोगों में भय की भावा बढ़ती जा रही है। पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की करवाई नहीं की जा रही है। लोगों को कोई मदद भी नहीं मिल रही है।
आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान पुलिस की लापरवाही की ओर दिलाना चाहता हूँ। हम सभी का अनुरोध है कि शहर की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों का पुलिस पर विश्वास बन सके।

प्रार्थी
XXX
मकान संख्या-
XXX
इंदिरा नगर,

19 जनवरी, 2014

लखनऊ

कार्यालयीय पत्र

वे पत्र जिन्हें एक सरकारी पदाधिकारी सरकारी कार्यवश किसी अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी पदाधिकारी को अथवा व्यापारिक कोठी को लिखता है उन्हें कार्यालयीय पत्र अथवा सरकारी पत्र कहते हैं। इसकी रूपरेखा व्यावसायिक पत्रों से थोड़ा भिन्न है। इसमें ऊपर बायीं ओर 'प्रेषक' शब्द लिखकर उसके नीचे प्रेषक का नाम और पद लिखा जाता है। इसके बाद 'सेवा में' शब्द लिखकर नीचे पत्र पानेवाले का नाम, पद तथा स्थान लिखते हैं। फिर पत्र का क्रमांक (यदि ऊपर नहीं लिखा गया हो तो) तिथि व स्थान लिखा जाता है। सम्बोधन के लिए 'महोदय' शब्द का प्रयोग किया जाता है। सम्बोधन के बाद सम्बन्धित विषय का संकेती दे दिया जाता है। पत्र का कलेवर अनुच्छेदों में बँटा होता है। स्वनिर्देश में साधारणतया 'भवदीय' शब्द का प्रयोग करते हैं।

कार्यालयीय पत्र-व्यवहार शासन तन्त्र का एक अभिन्न अंग है। पत्र-व्यवहार की यह शाखा अब काफी विकसित हो गयी है। कार्यालयीय पत्र का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है-

मुख्य सचिव को जिलाधीश का बाढ़-संबंधी सूचना पत्र

प्रेषक

अरविन्द कुमार, आई. ए.एस.
जिलाधीश
नागपुर।

सेवा में

मुख्य सचिव
महाराष्ट्र सरकार
बम्बई।

क्रमांक 283/9 दिनांक 30 जुलाई, 1990

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मैंने नारखेड़ तहसील में वार्धा नदी के किनारे के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अचानक आयी इस बाढ़ से यहाँ के निवासियों को भारी नुकसान पहुँचा है।

इस बाढ़ ने लगभग 5 हज़ार जनसंख्यावाले 8 ग्रामों को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। सड़कें, कच्चे मकान कखा खेत नष्ट हो गये हैं।

यद्यपि कई स्वयंसेवी संगठन इन असहाय तथा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता कर रहे हैं फिर भी स्थित पूर्ण नियन्त्रण में नहीं है। अतः मैं अभिशंसना करूँगा कि इन पीड़ित व्यक्तियों को उचित तकावी ऋण वितरण किया जाय।

इस ओर यशशीघ्र आवश्यक कार्यवाही प्रार्थनीय है तथा मुझे आवश्यक निर्देश निर्गमन कीजिए।

भवदीय
अरविन्द कुमार
जिलाधीश, नागपुर

MODULE IV

अनुवाद

एका भाषा की रचना को दूसरी भाषा में रूपान्तरित करने को अनुवाद कहते हैं। भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान-प्रदान के लिए तो अनुवाद अनुपेक्षणीय है। साहित्यिक क्षेत्र में ही नहीं, प्रशासनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक आदि क्षेत्रों में भी अनुवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनुवाद करना एक कला है। सबसे सुन्दर अनुवाद वही माना जाएगा, जिसमें मूल रचना का भाव तो आ ही जाय, साथ ही साथ अनुवाद को पढ़ते समय मूल के पढ़ने जैसा आनन्द भी प्राप्त हो।

अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद

1. Human society has intimate relationship with crow. There are so many stories tells about crow. There are somany references to crows in folktiles. It could be true or false. It is believed that crow predict different event by his peculiar words.

The crow is found everywhere in India, plains as well as in mountain areas of India. In Sikkim crow had seen 13-14 thousand feet height. In India there are only two places were the crow had not seen. They are Kodaikanal in South India as Chithrakoodam in North India. But the reason is unknown.

मानव जीवन में कौए को महत्वपूर्ण स्थान है । कौए के संबंध में हमारे बीच तरह तरह की कथाएँ प्रचलित है । लोकगीतों में भी इसके बारे में तरह तरह का उल्लेख है तथा इसके बारे में सही या गलत धारणाएँ फैली हुई है । कहते है जब कोई आनेवाला होता है तो कौए दरवाज़े पर आकर बोलता है । इसी तरह विश्वास किया जाता है कि आगे होनेवाली घटनाओं की सूचना भी वह देता है ।

कौए भारत के प्रायः सभी हिस्सों में पाये जाते है । मैदान में ही नही पहाडी क्षेत्रों में भी उसे देख सकते है । सिक्किम में 13-14 हज़ार फुट की उँचायी पर ये पायी जाती है । इस देश में केवल दो ही स्थान ऐसे है, जहाँ कौए नहीं होते । दक्षिण भारत में कोटैकनाल तथा उत्तर में चित्रकूट । पता नहीं उसका कारण क्या है ।

2. Taj Mahal is an uncommon attempt to immortalize love. Today the Idol lover Shahjahan is not alive, the Idol of beauty Mumthas is not alive, their power and glory are not alive, but yet all this seem to be alive in the stories with which the Taj mahal has been built. Thousands of tourist gather their, every year to have a glance of Indias architectural skills and return home with associated joy. In every noke of this musolium are sold, which attract tourist from far and near to this place. The Tajmahal stands in the historic city of Agra in Uttarpradesh. It was beautiful

garden on three sides, and on the forth flows river Yamuna. Within the fort there is a small mirror where in one can see reflection of the Taj.

अनुपम प्रेम का असाधारण प्रयत्न है ताजमहल। आज उस पूजनीय प्रेमी शाहजहाँ या आराद्य सुंदरी मुमताज़ या उसके शक्ति व विजय भी साथ नहीं, फिर भी यह सब ताजमहल के द्वारा अब भी जीवित है । हर साल हज़ारों यात्रियाँ यहाँ एकत्रित होते है और भारत के शिल्प वैदद्य देखकर आनंदित होकर घर चला जाता है । संसार के कोने कोने में इस कब्र का चित्र बेचते है, जो दूर के यात्रियों को भी यहाँ आकृष्ट कराते हैं । उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर आग्रा में ताजमहल स्थित है । तीनों भागों में सुंदर बगीचे है, और चौथे भाग में यमुना बहती है । किले के अंदर एक छोटा दर्पण है, जिसमें ताज की छाया देख सकते है।

3. 15th August is the day of our national festival. We got independence on that day. Several other countries in the world also fight for freedom in those countries fighting was bloody. The winner and the looser became enemies for ever. But our freedom movement was non violent in nature. After this movement centuries old enemies became friends. Therefore there is a special significance for our freedom celebration.

In independence every Indians decorate our houses and hoist the national flag on their houses. Towns and villages, schools and colleges, market, and officers are also decorated. We can see tri-coloured national flag everywhere. In delight of independence sweets are distributed in schools and common places and delighted festivel are organized corner meeting are held in various places in the evening. We remember our leaders who led the freedom struggle and we offer prayers who sacrificed their lives for freedom.

पन्द्रह अगस्त हमारे कौमी त्योहार का दिन है । उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था । संसार में कई अन्य देशों भी आज़ादी केलिए लडाइयाँ लडी और खून की नदियाँ बही । जीतनेवाले और हारनेवाले हमेशा केलिए दुशमन हो गया। मगर हमारे देश की आज़ादी की लडाई अहिंसा की लडाई थी। इस लडाई के बाद शतियों के दुश्मन, दोस्त बन गये । इसलिए हमारी आज़ादी में खुशियों का गंध है।

स्वतंत्रता दिवस के दिन हर भारतवासी अपने घर को सजाता है और घर पर राष्ट्रीय झंडा फहराता है । शहर और गाँव, स्कूल और काँलज, बाज़ार और दफतर सजाए जाते है । जहाँ देखो, वहाँ तिरंगे झंडे नज़र आती है । आज़ादी की खुशी में स्कूलों में और आम जगहों में मिठाइयाँ बाँटी जाती है और खुशी के जलसा बनायी जाती है । श्याम के वक्त स्थान-स्थान पर आम सभाएँ होती है ।

स्वतंत्रता की लडाई (संग्राम) युद्ध में जिन्होने अपने प्राण अर्पित कर दिये उन शहीदों की याद करते है और उनपर श्रद्धा को फूल चढाते है ।

4. Every Indian must have heard of the great Bengal poet Raveendranath Tagore. He was born in 16th May 1861. He belonged to a family of poets and artists of Bengal. When he was young his mother died and he was brought up by his father and the faithful servants of the family. Every one loved little Tagore and believed that he would one day be great.

Tagore was sent to school. But for some reason he did not like going to school. He loved to look at beautiful natural scenery, Mountains, lakes rivers and forest had great charm for him. They seemed to tell Tagore more than books could tell him. His father knew how much the young Tagore enjoyed mountains scenery. So he used to take the boy with him, whenever he went to the Himalayas. The knowledge that Tagore gained during the tour helped him to write beautiful Bengali songs and stories. Many of his poems and stories have been translated into English and other European languages.

सभी भारतीय रवीन्द्रनाथ ठागुर के बारे में सुना होगा जो बंगाली भाषा के महान कवि थे । सोलह मई अठारह सौ इकसठ में उनका जन्म हुआ। उनका संबंध बंगाल कवि और कलाकारों के परिवार से था ।

बाल्यकाल से ही माता की मृत्यु हो गयी थी । इसलिए परिवार के विश्वस्थ सेवक तथा पिता ने उनका पालन पोषण किया । सभी लोग बच्चा टागुर को प्यार करते थे और विश्वास करते थे कि वह एक दिन महान बनेंगे।

ठागुर को स्कूल भेजा गया । लेकिन किसी न किसी कारण से स्कूल जाना वह पसंद नहीं करते थे । वे प्राकृतिक सुंदर दृश्यों को देखना पसंद करते थे। पहाडों,झीलों,नदियों और जंगलों उन्हें कमनीय लगता था । पुस्तकों से अधिक ज्ञान उन्हें यहाँ से मिलते थे । उनके पिता जानते थे कि ये प्राकृतिक दृश्य उन्हें किस तरह संतुष्ट करते है । इसलिए वे जब कभी हिमालय के पास जाते है तब ठागुर को भी साथ ले जाते थे । इन यात्राऐं ठागुर को सुंदर बंगाली गीतों तथा कहानियों की रचना का सहायक बनी। उनके अधिकतम कविताऐं और कहानियाँ अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा में अनूदित किया है

5. Advertising has been differently defined by different people. It is said to be nothing but purely and simply salesmanship in print. Dr.Jones defines it as a sort of machine-made, mass-production method of selling, which supplements the voice and personality of the individual salesman, much as in manufacturing the machine supplements the hands of the craftsman. Simply stated,

advertising is the art of influencing human action, the awakening of the desire to possess, and possess your product.

विज्ञापन की विभिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषा की है । यह स्पष्ट और सरल रूप में विक्रय कला के मुद्रित रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । डॉं . जान्स के अनुसार यह उत्पादन को बहुत बडी मात्रा में बेचने की एक मशीन है, जो एक विक्रय कर्ता की वाणी और व्यक्तित्व की कमी को उसी प्रकार पूरा करती है, जिस प्रकार उत्पादन कार्य में मशीन दस्तकार के हाथों की कमी को पूरा करती है। सरल रूप में कहे तो विज्ञापन मनुष्य को कार्य करने केलिए प्रेरित करने, उसमें वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पैदा करने और उस वस्तु को रखने की इच्छा पैदा करने की कला है।

हिन्दी से अंग्रेज़ी में अनुवाद

1. भारत एक विशाल देश है । यहाँ बाईस राष्ट्रभाषाएँ बोली जाती हैं जिनके लिए माद्यम के रूप में एक भाषा होनी चाहिए। हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का कारण यह है कि बीस करोड जनता इसे व्यवहार में लाती है । हिंदी का करीब एक हज़ार वर्षों का साहित्य है जिसमें सूर, तुलसी, मीरा और भारतेन्दु से लेकर आधुनिक युग में जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला आदि कवियों द्वारा अपार भंडार भरा गया है । हिंदी की परंपरा राष्ट्रजीवन से भी सम्बन्धित है । इतिहास की दृष्टि से भी वह केंद्र की भाषा है । इसलिए उसका राजभाषा होना उचित ही है ।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर होता है। राजभाषा केंद्रीय एवं प्रदेश की सरकारों द्वारा परस्पर राजकाज की भाषा होती है । राष्ट्रभाषा वह है, जिसे सब जनता समभक्ति है । जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो ।

India is a vast country. There are Twenty Two National languages and it is necessary to have one language as a common medium. The reason why Hindi has been the official language is that twenty crores of people make use of this language. Hindi has a literature of nearly one thousand years. To this literature writing have been made by poets from Sur, Tulsi, Meera and Bhartendu to Prasad, Pant, and Nirala of the modern age, who all have contributed boundless treasures. The growth of Hindi is associated with the national life. From the historical point of view also it is the language of the Centre. Therefore it is right to consider it is the official language. There is a diference between official language and national language.The official language is that language which is used for the State affairs of both, the Centre and the States. The national language is that, which is understood by all the people and which is important from both, the social and cultural point of view.

2. साल का पहला दिन है । जो वर्ष कल तक था वह सदा के लिए चला गया है । अब वह वापस नहीं आयेगा । काल अनंत है । समय का प्रवाह अजस्त्र है, निरंतर है । पिछला साल बीत गया । अब नया साल चालू हुआ। लेकिन बीच में जोड दिखाई नहीं पडता है । जल धारा की तरह ही समय की धारा है । नदी बहकर अनंत समुद्र में विलीन होती है, फिर भी बहती रहती है । साल समाप्त होकर अनंतकाल में विलीन हो गया और नया साल शुरू हो गया । दिन, रात, पक्ष, मास और साल तो माप हैं । समय के नापने के पैमाने है । दिन-रात छोटे-बडे हो सकते है अर्थात माप छोटे-बडा हो सकता है लेकिन मापी जाने वाली चीज़ तो छोटी-बडी नहीं होती हैं । समय अनंत हें, अक्षय हैं ।

Today is New Year’s Day. The year which was till yesterday has gone away for ever. It will never come back now. The corrent of time is incessant and ever lasting. The previous year has gone. The New Year has started now. But the joint in the middle is not visible. The flow of time is just like the corrent of the river. The river flows and vanishes in the endless ocean, even then it goes on flowing. The previous year has ended and vanished in the infinite time. Day, night, fortnight, month and year are the measures. They are to measure the eternal time. Day and night can be short or long, but the thing to be measured is neither short nor long. The time is infinite and everlasting.

3. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन अनिवार्य है। अनुशासन सैनिक जीवन की तो आत्मा ही है। इसके बिना सेना एक भीड़ से बढ़कर कुछ नहीं होती। यह पहली वस्तु है जिसकी परिवार में ताल-मेल तथा एकता- सूत्र को बनाऐ रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है। समाज तथा राष्ट्र में शांति और एकता बनाए रखने के लिए भी अनुशासन समान रूप से आवश्यक है। अनुशासन के बिना मनुष्य जंगली पशु से बढ़कर कुछ नहीं। यदि प्रभु की सृष्टि में अनुशासन न हो, तो विश्व में अव्यवस्था फैल कर शीघ्र ही प्रलय-दश को प्राप्त हो जाय।

Discipline is very essential in every walk of life. Discipline is the soul of military life. Without discipline an army is no better than a crowd. It is the first thing needed for maintaining the harmony and concord in a family. It is equally necessary in maintaining peace and harmonious relations in a society’s or in a nation. Without discipline men are no better than brutes. If there is no discipline in God’s creation, chaotic conditions will prevail and this universe would come to topsyturvydom in no time.

****